



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

विश्वविद्यालय के वैधानिक अंकेक्षक नियुक्ति हेतु सूचना

.....

विश्वविद्यालय में आगामी 03 वर्षों के लिए वैधानिक अंकेक्षक के नियुक्ति हेतु प्रकाशित निविदा दिनांक- 26 मार्च , 2021 के संबंध में सूचित किया जाता है कि वर्तमान में भोपाल शहर में कोरोना कर्फ्यू के चलते वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति की कार्यवाही आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है , नियुक्ति हेतु आगामी कार्यवाही की सूचना पृथक से कोरोना कर्फ्यू समाप्त होने पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

कुलसचिव